न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द अग्रवाल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 42/2010

वादीगण

1. जोईताराम वल्द प्रभाजी कौम भील निवासी सुरजवाडा
2. भुताराम वल्द अजबाजी कौम भील निवासी कागमाला तहसील रानीवाडा जिला जालोर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सोनीया वल्द केसा
2. बाबूडा वल्द केसा
3. राजीया उर्फ राणा वल्द केसा
4. गोविन्द वल्द पूनमा
5. मु. काली बेवा पुनमा
6. मु. उगम पुत्री पुनमा
7. मु. काली बेवा पुनमा
8. चमना वल्द भूता
9. शंकरा वल्द भूता
10. मु. पारू पुत्री भूता
11. मु. घुनी पुत्री भूता
12. अजा वल्द धुडा
13. लीला वल्द धुखा
14. मु. मफी पुत्री धुखा
15. मु. पवनी पुत्री धुखा
16. काला वल्द हंजू
17. मु.भीखी बेवा हंजु
18. रमेश वल्द भीखा
19. मु. लक्ष्मी बेवा भीखा
20. मृतक हकमा वल्द धुडा के का.मू. वारीस–20/1 ढलूबेन पुत्री हकमा 20/2 आकाश वल्द हकमा उम्र 10 वर्ष नाबालिंग जरिये कुदरती वली दादी मू. गैरीदेवी बेवा धुडाजी कौम भील निवासीगण कागमाला तहसील रानीवाडा
21. तहसीलदार भूमिधारी रानीवाडा
22. उप पंजीयक रानीवाडा
23. खानाभाई पुत्र पुनमाजी कौम भील निवासी राह तहसील थराद जिला बनासकांठा ,गुजरात

दावा बाबत विभाजन करने कृषि भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण के अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई।
2. प्रतिवादी संख्या 23 की ओर अधिवक्ता श्री केशरदान चारण।
3. प्रतिवादी संख्या 21 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 07.04.2022

1. वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिसका तथ्य संक्षेप में वाद के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा कागमाला तहसील रानीवाडा में खाता संख्या 211 के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: Self Attested

खसरा नबंर 710 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म भूमि बारानी सोयम, खसरा नबंर 711 रकबा 1.94 हैक्टर किस्म भुमि चाही प्रथम, खसरा नबंर 712 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म भूमि गैर मुमकिन बेरा, खसरा नबंर 713 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म भूमि गै.मु. सडा, खसरा नबंर 714 रकबा 14.99 हैक्टर किस्म भूमि बारानी सोयम खसरा नबंर 715 रकबा 0.23 हैक्टर किस्म गै. मु. मगरी जुमले रकबा 17.59 हैक्टर संयुक्त खातेदारी की सामलाती आराजी आयी हुई है। जिसमें वादीगण का हिस्सा 6/14 एवं प्रतिवादीगण संख्या 20 का 1/14 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1से 19 के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेख में सामलाती खातेदारी दर्ज है। मुतवादीया आराजी में माफिक अपने नाम दर्ज खातेदारी हिस्से अनुसार वादीगण का कब्जा काश्त लगातार निर्बाध रूप से वक्त खरीद से आज दिन तक लगातार वादीगण का चला आ रहा है। तथा उसमें वर्षा ऋतु में वर्तमान में वादीगण ने अपने कब्जा काश्त की खरीद सुदा आराजीयान में बाजरें की फसल की बुवाई की हुई है। जिसकी देखभाल व काश्त तथा फसल की निराई गुडाई का काम वादीगण स्वयं अपने भावलियों व स्वयं द्वारा भी की जा रही है। उक्त आराजी का वादीगण के पूर्व खातेदारन व प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से अनुसार पूर्व में मौखिक बंटवाडा किया हुआ है। वादीगण का मुतदाविया आराजी में सामलाती कृषि भूमि खातेदारी दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 19 उनके शांति पूर्वक कब्जा काश्त कृषि भूमि के उपयोग उपभोग व खडाई गुडाई में दखलंदाजी कर बाधा उत्पन्न करते हैं। तथा कृषि भूमि के सामलाती दर्ज होने से बिना विधि सम्मत उक्त आराजी विभाजन करवायें उनके बंट व हिस्से की आराजी भू भाग में विधुत कनेक्शन लेने हेतु आवेदन करते वक्त सभी सहखातेदारान की सहमति लेने की बाध्यता होने सभी सहखातेदारान की सहमति नहीं बन पाती है क्योकि सभी अलग–अलग मजदुरी करते रहते है। सभी एक जगह हाजिर नहीं रहने से वादीगणों को भारी असुविधा व परेशानी प्रतिवादीगणों की वजह से उत्पन्न होती रहती है। जिस हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 20 को अपनी सामलाती कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारी हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया तो पहले तो प्रतिवादीगण ने आज नहीं कल करवाने के झांसे दिये। बाद में वादीगण ने अपने 6/14 हिस्से की खातेदारी आराजी में बोरवेल करवाने बाबत कहने पर प्रतिवादीगणों की नियत में खोट आ गई तथा वादीगणों को धमकाने लगे कि राजस्व अभिलेख में विभाजन नहीं करवायेगे, आपसे जो हो कर लेना तथा तुम्हें शांति पूर्वक काश्त भी नहीं करने देगे तथा वादीगण को उक्त सामलाती कृषि भूमि में उनके हिस्से के किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने व अन्य सरकारी जरूरी कामकाज में सामलाती सहखातेदारान का नाम सामिल होने से काफी परेशानी व अडचने कानूनन आती है। जिससे उक्त सामलाती आराजी का विधि सम्मत विभाजन किया जाना अति आवश्यक हो गया है।

2. विनायवाद दिनांक 9.9.2010 को पैदा हुआ जब वादीगण अपने नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि 6/14 हिस्से में बोई गई फसल की देखभाल कर रहे थे तथा प्रतिवादीगण सभी एक राय होकर नाजायज मजमा बनाकर बलवा कर वादीगण को उसकी खातेदारी की संयुक्त आराजी में से उसके खाते में दर्ज खातेदारी हिस्से की आराजी के शांति पूर्वक कब्जा काश्त के उपयोग उपभोग में जबरन बाधा उत्पन्न कर दखलंदाजी पैदा की तथा एलानिया धमकी दी कि तुम्हें उक्त आराजी का विभाजन राजस्व अभिलेख में माफिक रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर मौके व कब्जे काश्त की सुविधा अनुसार कृषि भूमि का विभाजन नहीं करने देगे। तथा जबरन बलप्रयोग कर वादीगण के साथ बलवा करके मारपीट कर बलपूर्वक लाठी के जोर पर वादीगण के खातेदारी आराजी से बैदखल करके ही दम लेगें एवं उप पंजीयक कार्यालय रानीवाडा में हमारे नाम की कृषि भूमि का बिना विभाजन करवाये सामलाती कृषि भूमि का अवैध बैचान किसी बदमाश प्रकृति के अपरिचित क्रेता को करवा कर उसका बैचा[illegible]ज पंजीकृत करवा कर तुम्हारे कब्जे की जमीन में जबरन कब्जा अप[illegible] कारण आज दिन तक बदस्तुर जारी है। जिससे [illegible] बाबत साम[illegible] कृषि भूमि का विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अन्दर म्याद श्रीम[illegible] के समक्ष पेश है। प्रतिवादी संख्या 20(1) ढलूबेन व 20(2) आकाश की उम्र क्रमशः 14वर्ष व 10वर्ष [illegible] से व नाबालिंग है तथा उनके माता पिता दोनो की उम्र हो जाने से उनकी जीवित दादी गैरीदेवी बेवा धुडाजी ही उनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

कुदरती वलिया नियमानुसार होगी। जिससे उन्हें नाबालिंग ढलुबेन व आकाश पिसरान हकमा के कुदरती वलिया दादी मु. गैरीदेवी बेवा धुडाजी भील को वाद का आवश्यक प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है।

3. वादीगण की निम्न प्रकार इश्तदुआ है कि मौजा कागमाला तहसील रानीवाडा के खाता संख्या 211 की कृषि भूमि खसरा नबंर 710 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म भूमि बारनी सोयम, खसरा नबंर 711 रकबा 1.94 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, खसरा नबंर 712 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म भूमि गै. मु. बेरा, खसरा नबंर 713 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म भूमि गै. मु. सडा, खसरा नबंर 714 रकबा 14.99 हैक्टर किस्म भूमि बाराजी सोयम, खसरा नबंर 715 रकबा 0.23 हैक्टर किस्म गै. मु. मगरी कुल खसरा 6 कुल रकबा 17.59 हैक्टर सामलाती आराजी का वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी 6/14 हिस्से का मौके व कब्जा काश्त की सुविधा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर लगान का विभाजन कर खाते को अलग–अलग करके बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 से 20 कृषि भूमि के विभाजन की डिक्री जारी फरमावें। मौजा कागमाला तहसील रानीवाडा में स्थित मुतदाविया आराजी कृषि भूमि का बाद विभाजन तहसीलदार रानीवाडा पर आदेश फरमावें कि वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी 6/14 हिस्से अनुसार राजस्व अभिलेख में उनके हक हिस्से का खाते अलग–अलग करके लगान का विभाजन कर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर नक्शा ट्रेश में अलग–अलग खाते तरमीम किये जाने के आदेश वादीगण के हक में न्यायालय श्रीमान के आदेश की पालनार्थ भेजा जावे। व माफिक न्यायालय के आदेश वादीगण के हक में आने वाली कृषि भूमि माफिक राजस्व अभिलेख में वादीगणों के नाम दर्ज 6/14 हिस्से अनुसार मौके पर वादीगण के कब्जे काश्त व मुतदाविया आराजी हिस्से के शांति पूर्वक कब्जा काश्त एवं उसके उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण स्वयं व किसी अन्य द्वारा जबरन बलप्रयोग कर लाठी के जोर पर बाधा उत्पन्न नहीं करे अनाधिकृत रूप से वादीगण की सहमति व अनुमति के बिना प्रवेश जबरन नहीं करे ना ही बिना विभाजन करायें उक्त आराजी के विशेष हिस्से का अवैध बैचान हस्तान्तरण किसी अपरिचित क्रेता को नहीं करे व ,न ही अन्य से करावें तथा प्रतिवादीगण संख्या 21 व 22 उक्त तरह के प्रतिवादीगण संख्या 1 से 20 द्वारा उक्त मुतदाविया आराजीयान का बैचान दस्तावेज पेश होने पर उसे किसी भी प्रकार से पंजीकृत नहीं स्वयं करे ना ही अन्य से करावें। जबरन कब्जा काश्त में दखलंदाजी स्वयं करे तथा ना ही किसी अन्य से करावे तथा जबरन वादीगण को उनकी कृषि भूमि से बलप्रयोग कर बैदखल नहीं स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावें। इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमावें।

4. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किया गया । प्रतिवादीगण 1 से 19 की ओर अधिवक्ता श्री बाबूलाल सोलंकी व मधुसुदन व्यास व प्रतिवादी संख्या 23 की ओर से अधिवक्ता श्री केशरदान चारण ने वकालतनाम पेश किया। व प्रतिवादी संख्य 20(1,2) बाद तामिल समन उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 23 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया।

5. प्रतिवादी संख्या 1 से 19 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 19 वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से के अभिलेख के अनुसार खातेदार है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 710 से 715 सरहद मौजा कागमाला तहसील रानीवाडा का पूरा का पूरा रकबा प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में है। प्रतिवादीगण इस जमीन पर अपने जन्म से काबिज है। निवास कर रहे है। प्रतिवादीगण से पूर्व प्रतिवादीगण के पूर्वज इस जमीन पर काबिज थे। और खातेदार थे। यह जमीन खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2010 [illegible] गांव कागमाला तहसील जसवन्तपुरा जिला जालोर मला वल्द गेमा [illegible] के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी। इसके खसरा नबंर उस समय 468 थे [illegible] 113 बीघा 15 बिस्वा था। उसके बाद मला की मौत होने पर यह जमीन मला के [illegible]सान सोनीया, बाबुडा, राणीया, पूनमा पिसरान केसा तथा भूता, कस्तुरा पिसरान माला के नाम दर्ज हुई। माला के तीन लडके

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

थे–केसा, भूता, तथा कस्तुरा। केसा जिस में से पहले मर गया। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 19 इनके वारिसान है। इनका नाम अभिलेख में दर्ज है। खसरा नबंर 468 पुराने के नये नबंर 710 से 715 पडे। सुरता के मरने के बाद उसकी जमीन उसकी बेवा हस्तु के नाम दर्ज हुई थी। सुरता के कोई संतान नहीं थी। उसके किसी संतान का जन्म भी नहीं हुआ था। सुरता अकेला था। उसे माला ने अपने साथ खेती करने के लिए रखा था। माला से अपनी लडकी हस्तु का विवाह किया था। हस्तु, केसा, भूता, और कस्तुरा की बहिन थी। हस्तु और सूरता के विवाह से किसी प्रकार की संतान का जन्म नहीं हुआ। हस्तु से विवाह से पहले सूरता का किसी और से कभी भी विवाह नहीं हुआ। माला के तीन पुत्र संतान थी। जिनके नाम केसा, भुता, तथा कस्तुरा थे। केसा के चार लडके थे। जिनके नाम सोनीया, बाबुडा, राणीया और पूनमा थे। पूनमा का देहान्त हो चुका हैं। केसा का देहान्त हो चुका है। पुनमा के वारिसान गोविन्द, नीकू, श्रीमती उगम तथा मुस्मात काली है। माला का दूसरा लडका भूता था। उसका भी देहान्त हो चुका है। उसके लडके चमना, शंकरा, तथा धुखा है। भूता तथा दो लडकियां पारू तथा धुनी है। भूता के लकडे धुखा का भी देहान्त हो चुका है। धुखा के वारिसान अजा, लाला, मफी और पवनी है। कस्तुरा के दो लडके है, जिनके नाम हंजारी तथा भीखा थे। भीखा के वारिसान रमेश और मुस्मात लक्ष्मी है। हंजा के वारिसान काला और मुस्मात भीखी है जो सभी इस वाद में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 है। जिनकी तरफ से यह काउण्टर क्लेम पेश किया जा रहा है। सूरता नाऔलाद फौत हुआ था। सुरता की पत्नि हस्तु माला की बेटी थी और केसा, भुता तथा कस्तुरा की बहिन थी। सूरता के मरने के बाद यह जमीन हस्तु के नाम हुई। हस्तु के मरने के बाद यह जमीन प्रतिवादी सख्या 1 से 19 के नाम या हस्तु की मौत के समय मौजुद इनके पूर्व पुरूष के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में सुरता का कोई वारिस नहीं होने पर यह जमीन प्रतिवादी संख्या 1 से 19 के नाम विधि की प्रक्रिया के अनुसार दर्ज की जानी चाहिए थी।

6. सुरता के वारिसान बनकर जिन लोगों ने अपने नाम दिनांक 31.3.1991 को नामान्तरणकरण भरवाया और अपने आप को कपटपुर्ण तरीके से खातेदार बनाया जो गलत है निरस्त किये जाने योग्य हैं। वादीगण को जमीन बेचने वाले अर्जुन ने दिनांक 15.2.1990 को अपने शपथ पत्र में बताया था कि उसके दादा सुरता पुत्र मगाजी थे। जबकि विरासत वह सुरता पुत्र धरमा की मांग रहा था। सुरता के पत्नि का नाम हस्तु था। धुडा को हस्तु का बेटा बताया गया और यह कहा कि धुडा का नाम नाबालिंग होने के कारण सुरता की मौत पर अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया केवल मात्र हस्तु का नाम दर्ज किया गया। अर्जुन, छगना, पोपट, हकमा, नटू, बलवन्त सभी धुडा के बेटे बने तथा गैरी धुडा की धर्मपत्नि बनी। संवत् 2032 की जमाबंदी में सुरता का नाम दर्ज है। अर्थात उस समय तक सुरता था। यह बात सन् 1985 की होती है। सन् 1985 के बाद सुरता मरा है। सन् 1985 से 1990 में 5 साल का अन्तर आता है। सन् 1985 के बाद सुरता मरा है। उस समय धुडा मर भी गया, उसके 6 बेटे भी हो गये। यह सब कहानी मनगढन्त है। धुडा को हस्तु का बेटा होना अर्जुन आदि सभी भाई बतलाते रहे है। जब कागमाला में जांच में यह बात नहीं बैठी तो एक नई कहानी सुरता का पहले किसी सदणों से विवाह होने की बतायी। सदणो को फौत बताया और धुडा भी मर गया। सुरता बेटे को छोडकर आना भी बता दिया। इस प्रकार पुरी जालसाजी कर जमीन हडपने का षडयंत्र रचा गया। जिसके लिए अलग से फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा रही है। वादग्रस्त जमीन प्रतिवादीगण के कब्जे तथा अधिकार में है। प्रतिवादीगण इस जमीन [illegible] करते है। वादीगण को बेचनेवाले तथा प्रतिवादी संख्या 20(1) तथा 20(2) [illegible] के नाम नामान्तरणकरण दिनांक 31.1.1992 को भरा गया था। इस दिन से आज दिन तक इन में से किसी का भी कोई कब्जा नहीं रहा है। यह लोग सन् 1992 से कब्जे से बाहर है। प्रतिवादीगण का सन् 1992 से वादीगण तथा इनको बेचने वाले तथा हकमा आदि की जानकारी में बहैसियत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chand Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार मालिक पुरी की पुरी आराजी पर कब्जा है। प्रतिवादीगण द्वारा की लगातार खेती की जाती रही है। प्रतिवादीगण का कब्जा लगातार है। शान्तिपूर्वक है। बिना बाधा है। हर आम व खास की जानकारी में है। इस प्रकार वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 20(1) तथा 20(2) के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 19 का दिनांक 31.1.1992 से लगातार कब्जा अभिलेख के अनुसार साबित है। किसी व्यक्ति की जमीन पर जबरदस्ती है किसी के द्वारा कब्जा किये जाने की सुरता में और कब्जा खाली नहीं किये जाने की सुरत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी में 12 साल तथा 183 में 12 साल है। यह 12 साल 2004 में दिनांक 31.1.2004 को पुरे हो जाते है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 19 प्रतिकुल कब्जे के सिद्वान्त के आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 20(1) एवं 20(1) के नाम दर्ज आराजी के खुदकाश्त खातेदार धोषित किये जाने के अधिकारी है।

7. सुरता का देहान्त सन् 1985 के बाद होना अभिलेख से साबित होता है। सन् 2010 में गैरी जो धुडा की पत्नि बतायी जाती है, उसकी उम्र उसके द्वारा वादीगण के पक्ष में किये गये बेचाननामे में 80 साल लिखी है अर्थात सन् 1985 में गैरी की उम्र 55 साल होती है। धुडा को गैरी के बराबर भी माना जाये तो धुडा की उम्र 55 साल के लगभग होती है। ऐसी स्थिति में सुरता के मरने के समय धुडा नाबालिंग कैसे हो सकता है। इसके अलावा अर्जुन 2010 में 65 साल का है, सन् 1985 में 40 साल का था। यही स्थिति छगना, नटु, पोपट तथा बलवन्त की होती है। इसलिए अर्जुन का यह कहना कि सुरता की मौत के समय धुडा नाबालिंग था, गलत साबित होता है। सुरता की मौत के समय धुडा पुर्णतया बालिंग था। शादीसुदा था। उसके बडे–बडे बच्चे थे। इस कारण से धुडा का नाम हस्तु की मौत के बाद दर्ज नहीं होने का कोई कारण सिवाय इसके नहीं हो सकता है कि यह सब लोग हस्तु के वारिसान नहीं है।बाद में किसी मिलावट और षडयंत्र के आधार पर हस्तु के फर्जी वारिसान बने है। जब यह हस्तु के अथवा सुरता के वारिसान नहीं है तो इनका नाम अभिलेख में गलत लिखा गया है। इनका नाम अभिलेख से हटाया जावे। इनके खरीददार वादीगण का नाम भी अभिलेख से हटाया जाकर अभिलेख को शुद्व किया जावे। सुरता पुत्र धरमा जमीन का मालिक नहीं था। जमीन उसकी नहीं थी। वह मला उर्फ माला का हाली थी। उसे काश्त में सहयोग करने के लिए रखा था। बाद में उससे हस्तु का विवाह कर दिया गया था। इसलिए वह साथ में ही रहता था। इस प्रकार यह आराजी सुरता के नाम गलत दर्ज की गयी थी। सुरता का नाम गलत लिखा गया था। सुरता का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 19 का नाम दर्ज किया जावे। सुरता को धुडा का पिता बताया जा रहा है। पहले यह कहा गया ि कवह हस्तु तथा सुरता की संतान है। बाद में यह कहा गया कि वह सुरता तथा सदणो की संतान है। अणदपुरा वाले धुडा के बाप का नाम सुरता था, यह कही पर साबित नहीं है।

8. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 तथा इनसे पहले इनके पूर्वज इस जमीन पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से खेती कर रहे है। खुद काश्त है। इस कारण विधि की प्रक्रिया के तहत यह लोग खातेदार हो गये है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 20(1) तथा 20(2) के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 19 के खेती करने में तथा वादग्रस्त आराजी खसरा नबंर 710 से 715 सरहद मौजा कागमाला का उपयोग तथा उपभोग करने में व किसी प्रकार की बाधा या दखलन्दाजी नहीं कर सके, इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का वाद भी पेश करना आवश्यक है। इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा तथा खातेदारी धोषणा का वाद काउण्टर क्लेम के रूप में पेश किया जा रहा है।

9. वाद कारण दिनांक 18.6.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 से 19 की जमीन हडपने के लिए वादीगण द्वारा अपने नाम अर्जुन, पोपट, नटु, बलवन्त, छगना तथा गैरी आदि से बेचाननामा करवाने पर उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 से 19 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 710 से 715 मौजा कागमाला तहसील रानीवाडा में इस आराजी का जो आधा हिस्सा अभी अभिलेख में वादीगण जोईताराम तथा भुताराम और प्रतिवादी संख्या 20(1) व 20(2) के पिता हकमा के नाम दर्ज है, उसे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 की खुद काश्त धोषित की जाकर खातेदार धोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

जावें। अभिलेख में इस आशय की प्रविष्टी की जाकर लगान पर्चा कायम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 19 के पक्ष में तथा वादीगण और प्रतिवादी संख्या 20(1) व 20(2) के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि खसरा नबंर 710 से 715 की संपुर्ण आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 19 द्वारा खेती करने, बेरा खोदने, बिजली लेने, मशीन लगाने, मवेशी बांधने, मकान बनाने किसी भी संस्था से ऋण लेने में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप न तो स्वयं उत्पन्न करे, न ही किसी अन्य से करवाये। इसके अलावा न्याय हित में प्रतिवादी संख्या 1 से 19 के पक्ष में तथा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 20(1) व 20(2) के विरूद्व तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय जो भी अनुतोष देना उचित समझे, प्रदान करे। इस काउण्टर क्लेम का खर्चा हर्जा वादीगण से दिलवाया जावे।

10. वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम का जवाब उल जवाब पेश किया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा दिनांक 13.01.2011 को जवाब उल जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया तथा दिनांक 19.10.2016 को संशोधित जवाबुल जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया जिनमें जवाब दावा व काउन्टर क्लेम के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विशेष आपत्ति कि जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के पूर्व खातेदारान अर्जन, छगना, पोपट, नटु, बलवन्त तथा गैरी बेवा धूडा के नाम विवादित आराजी के पूर्व खातेदार सुरता वल्द धर्मा के उत्तराधिकारी हस्तु बेवा सुरता तथा हस्तु की वफात पर सुरता के वारिस पुत्र धुडा के वारीसान पुत्र व पत्नि के नाम विधि सम्मत तरीके से वारीसानों की छानबीन करके श्रीमान उपजिलाधीश महोदय भीनमाल के समक्ष दिनांक 15.2.1990 को प्रार्थना पत्र पेश हुआ था जिसे दिनांक 7.3.1990 को तहसीलदार रानीवाडा ने क्रमांक/एफ(5)भु.अ./87/627 दिनांक 7.3.1990 को भु–अभिलेख निरीक्षक मालवाडा को रेवेन्यु रेकर्ड में खातेदारी दर्ज करवाने बाबत् जांच प्रतिवेदन जांच करने हेतु भेजा था जिस पर हल्का आर.डी.मालवाडा ने तत्कालीन हल्का पटवारी हमीराराम मेधववाल पटवारी कागमाला व उपस्थित मौतबीरान बलवन्तसिह वल्द हबतसिह राजपुत व जसा पुत्र उका भील निवासी कागमाला के रूबरू दिनांक 26.4.90 को पुछताछ कर रेकर्ड की जांच करने पर सुरता के रोडा (रामपुरा) का था तथा उसकी पहले शादी ग्राम अणदपुरा में एक औरत से विवाह किया था तथा उसके मरने पर कागमाला वाली हस्तु से नाता विवाह किया था। पूर्व पत्नि से धुडा नाम का एक पुत्र जो उक्त सुरता का कुदरती जायन्दा पुत्र संतान था। जिसके अर्जन वगैरा धुडा के वारिसान थे। उक्त तथ्य की ताईद तत्कालीन तहसीलदार रानीवाडा ने अपने पत्र क्रमांक भु.अ./90/1147 दिनांक 29.5.90 में उपजिलाधीश महोदय, भीनमाल को भेजे पत्र क्रमां/रेवेन्यु/90/205 दिनांक 15.2.90 के संदर्भ में भेजा था, जिसे हल्का आर.आई. मालवाडा व हल्का पटवारी कागमाला द्वारा जांच करने पर जांच रिपोर्ट में आने वाले मृतक सुरता व मृतक हस्तु के असल जीवित वारीसान प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी जीवित होने से उनके नाम की जांच रिपोर्ट भेजी जिसे जांच परखकर छानबीन कर गांव वालों मौजा कागमाला वालों से पुछताछ करके ही भेजी थी तक जाकर उपजिलाधीश महोदय भीनमाल ने तहसीलदार रानीवाडा पर राजस्व/90/1630 दिनांक 27.11.90 को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से में मृतक हस्तु बेवा सुरता के विरासत में रेवेन्यु रेकर्ड में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के नाम खातेदारी दर्ज करवाने बाबत् नामान्तरकरण बाद जांच नियमानुसार दर्ज कर तस्दीक करवाया। इस आदेश से नामान्तरकरण भरा जाने का आदेश दिया था। जिसकी पालना में तहसीलदार रानीवाडा ने क्रमांक/भु.अ./12532 दिनांक 15.12.90 पटवारी कागमाला पर नियमानुसार नामान्तरकरण खोलने बाबत् निर्देश दिये कि मु. हस्तु बेवा सुरता भील (फौत) की खातेदारी मौजा कागमाला में दर्ज भूमि का नामान्तरकरण नियमानुसार अरजन, छगना, पोपट, हकमा, नटु, बलवन्त पिसरान धुडा और गैरी बेवा धुडा भील निवासी अणदपुरा (रामपुरा) के हक में खोलकर बाद स्वीकृति पालना रिपोर्ट निम्न हस्ताक्षरी को अविलम्ब पेश करे। जिसकी पालना में तत्कालीन हल्का पटवारी कागमाला ने ग्राफिक उपजिलाधीश भीनमाल के आदेशानुसार मृतक हस्तु बेवा सुरता के प्रथम श्रेणी के वारिसानों के नाम से दिनांक 31.1.92 नामान्तरकरण संख्या 31 में मृतक हस्तु वल्द सुरता के बजाय अरजन, छगना, पोपट, हकमा, नटु, बलवन्ता पिसरान धुडा व गैरी बेवा धुडा भील साकिन अणदपुरा के नाम नामान्तरकरण भरा गया जिसे आर.आई. मालवाडा ने इन्द्राजात बाद जांच सही पाया। जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 19:47:48 IST
Reason: SelfAttested

तत्कालीन तहसीलदार रानीवाडा श्री नारायणदास ने सही मानते हुये स्वीकृत किया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 31.1.92 से लगातार आज दिन तक निर्बाध व निर्विवाद रूप से सही व सनद रहा है तथा वारीसान उत्तराधिकार द्वारा समय–समय पर उक्त आराजीयान की काश्त भी की गई तथा दिनांक 18.6.10 को वादीगण को बैचान किया। इस तारीख से पहले लगातार 18 वर्षो तक पूर्व खातेदार बैचानकर्ता के नाम विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 से 19 की पूर्ण जानकारी व सहमति से राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है तथा मौके पर कब्जा काश्त भी पूर्व खातेदारान बैचानकर्ताओं का ही रहा है क्योकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 31.1.92 की म्युटेशन अपील 18 वर्ष उनकी जानकारी व सहमति से गुजर जाने बाद वादीगणों से अवैध रूप से रूपयों को एठनें हेतु पेश की है जो अपने आप में म्याद बाहर है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 द्वारा श्रीमान उपजिलाकलेक्टर महोदय भीनमाल के आदेश दिनांक 27.11.90 को विधि सम्मत तरीके से विधि सम्मत समयावधि के भीतर–भीतर सक्षम न्यायालय में अपील रिवीजन के माध्यम से निरस्त करवाये बिना उक्त नामान्तरकरण संख्या 31 को खारिज नहीं करवा सकते क्योकि नामान्तरकरण संख्या 31 तो श्रीमान उपजिलाधीश महोदय भीनमाल के आदेश दिनांक 27.11.90 की अनुपालनार्थ भरा गया है। असल आदेश तो आज से 20 वर्ष पूर्व हुआ था तथा वह आज भी प्रतिवादी संख्या 1 से 19 की जानकारी में बिना खारिज हुये प्रभावी रूप से मौजुद है। इससे प्रतिवादीगणों की उक्त आपत्ति सारहीन होने से वादीगण के विरूद्व नहीं पढी जावे। तथा बिना विधि सम्मत टाईटल के किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक अर्जित नही कर सकता है। उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रतिकुल होने से विधि विरूद्व व शुन्य होता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 का उक्त आराजी पर दिनांक 31.1.92 से कब्जा काश्त हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने जवाब दावा में पेश नहीं किया है। जिससे कानुनन उनका कोई पुराना कब्जा होना अपने आप में संदेह पैदा करना है। कब्जा पुराना होने के तथ्य को साबित करने का भार कब्जा करने वाले पर होता है।

11. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब उल जवाब एवं प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजो का अध्ययन किया जाकर तनकीयात कायम की जाकर एक्सप्लेन की गयी।

12. वादीगण कि ओर से वादी जोईताराम ,भूताराम ,शंकरराम व राजाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ मौजा कागमाला की जमाबंदी सवंत 2066–69 की पेश की जों प्रदर्श Exp 1 है, व नक्शा ट्रेस प्रदर्श Exp 2 है। व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के अपील संख्या 35/2010 का निर्णय जो प्रदर्श Exp 3 आदि दस्तावेज पेश किये गए। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पर प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई।

13. प्रतिवादी की ओर से हडमतसिंह, बाबुडा, अजाराम, अदराराम, करमीराम, राणाराम व प्रेमसिंह का साक्ष्य श्पथ पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी की ओर से काउन्टर क्लेम के साथ Ex A 1 से Ex A 24 तक दस्तावेज पेश किये गए व वादीगण वकील द्वारा जिरह की गई।

14 दोनों पक्षों की बहस सुनी व बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी – 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने जमाबंदी संवत 2066–69 [illegible] के खाता संख्या 211 प्रदर्श–1 में खसरा नम्बर 710, 711, 712, 713, 714, 715 [illegible] 0.34, 1.940, 0.010, 0.080, 14.33, 0.23 कुल क्षैत्रफल 17.59 हैक्टेयर की प्रस्तुत [illegible] जिसमे 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण सहखातेदार है। तथा 1/2 हिस्से [illegible], हकमा, नटू, बलवन्ता पि0 धूड़ा, गैरी बेवा धूडा कौम भील सा0 अणदपुरी रामपूरा सह[illegible]दार दर्ज है, भूता ,कस्तूरा पि0 माला का हिस्सा एस.बी.बी.जे.शाखा रानीवाडा में रहन दर्ज है। जो नामान्तरकरण संख्या 545 दिनांक

06.01.2010 से रहन मुक्त किया हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 506 दिनांक 20.02.2009 से अजा , लीला पि0 घुडा का हिस्सा MGB मालवाडा में रहन का इन्द्राज है। नामातरकरण संख्या 551 दिनांक 25.06.2010 के अनुसार अरजुन, छगना, पोपट, हकमा, नटू, बलवंता, पि0 धुडा ,गैरी बेवा धुडा 1/2 की बजाय जोईताराम पुत्र प्रभाजी कौम भील सा0 सूरजवाडा 2/7 हिस्सा, भूताराम पुत्र अजबाजी कौम भील सा0देह 1/7 हिस्सा ,हकमा पुत्र धुडा 1/14 हिस्सा कौम भील सा0 अणदपुरा रामपूरा खातेदार दर्ज है। वादीगण ने नक्शा ट्रेस प्रदर्श 02 पेश किया है तथा प्रदर्श–3 अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा म्यूटेशन संख्या 30 दिनांक 31.01.1992 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पारीत की अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 15.12.2014 को हस्तु के उत्तराधिकारों के बारे में जांच करने का क्षैत्राधिकार नही होने से अपील खारीज की गई। जिसकी कोई अपील नहीं की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 19 ने नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 25.06.2010 के अनुसार अर्जून वगैरा के नाम 1/2 आराजी दर्ज हुई है, वह हक हकूक के साक्ष्य के अभाव में अवैध व विधि विरूद्व इनके नाम आराजी दर्ज हुई। सूरता व पत्नि हस्तू के कोई सन्तान नहीं थी, निर्ववसीयत मृत्यू हो जाने से बैचानकर्ताओं का कोई मालिकाना हक के बारे में उनके वारिसदारान होने के लिए विधिवत कार्यवाही के अभाव में पुष्टी नही होती है। हस्तु की मृत्यू पर उसका भाई माला का हक वादग्रस्त आराजी में बनता है। इस प्रकार हक हकूकों का पक्षकारान के बीच विवाद होने से विवादीत आराजी का बंटवाडा किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः यह तनकी रेकर्ड जमाबंदी प्रदर्श 1 एवं प्रदर्श ए 7 के अनुसार वादीगण के नाम आराजी सामलाती दर्ज होने से आंशिक वादीगण के पक्ष में यह तनकी निर्णित की जाती है।

तनकी 02

इस तनकी का तनकी संख्या 1 में प्रतिवादीगण की आपत्ति होने से इस स्तर पर निर्णय किया जाना न्यायसंगत नहीं है। वाद के अंतिम निर्णय पर विचार किया जायेगा।

तनकी –03

वादीगण के वाद का निर्णय बंटवाडा प्रस्ताव अंतिम होने पर इस तनकी पर निर्णय किया जायेगा।

तनकी संख्या – 04

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 द्वारा वाद पत्र का जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 द्वारा फहरिश्त दस्तावेज के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये। जो गवाहन के दौरान मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण किया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 19 द्वारा प्रदर्श– A 20 मौजा कागमाला खतौनी बन्दोबस्त सवंत 2010–2029 प्रस्तुत की, जिसमें खाता संख्या 52 में मला वल्द गैना व सुरता वल्द धरमा कौम भील सा. देह व हिस्सा बराबर खाता संख्या 468 रकबा 111बीघा 15 बिस्वा दर्ज है। जिसके नवीन खसरा संख्या 710 से 715 रकबा कमश 0.34, 1.94, 0.01, 0.08, 14.99, 0.23 हेक्टेयर प्रदर्श– A 21 जमाबंदी सवंत 2032 से 2035 खाता संख्या 131 सोनिया, बाबुडा, पुनमा, राजीमा पि0 केशा कौम भील ,भूता ,कस्तुरा पि0 माला कौम भील 1/2 व सुरता पुत्र धर्मा 1/2 कौम भील सा. देह खातेदार खाता संख्या 468 रकबा 113 बीघा 15 विस्वा दर्ज है। द्वितीय खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श A 22 व 23 के खाता संख्या 73 में सोनिया, बाबुडा, पुनमा, राजीया पि. केसा, भूता, कस्तूरा पि0 माला 1/2 हस्तु बेवा सुरता 1/2 कौम भील सा. देह खातेदार, खसरा नम्बर 710 से 715 रकबा कमश 0.34 किस्म बारानी तृतीय, 1.94 किस्म चाव प्रथम चाव प्रथम ,0.01 किस्म कूआ, 0.08 किस्म सडा, 14.99 किस्म बारानी तृतीय, 0.23 किस्म गै.मू. मगरा दर्ज है। उक्त दस्तावेजों व लिखित बहस तथ्यों के आधार पर सूरता पुत्र धर्मा के नाम प्रथम सेटलमेंन्ट से दर्ज है। हस्तु बेवा सुरता के नाम जमाबंदी में आने के संबंध में सुरता पुत्र धर्मा के बजाय हस्तु बेवा सुरता के नाम म्यूटेशन भरने के संबंधी सुरता का मृत्यू प्रमाण पत्र या म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। प्रदर्श A 22 व 23 के अनुसार खातेदारान की पृविष्टिया साबित होती है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 05

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 द्वारा सूरता के नाम की वादग्रस्त आराजी नाऔलाद फौत होने के बाद बिना वारिस की जांच करवाये हकमा द्वारा पटवारी से मिलकर वादीगण अर्जून, छगना, पोपट नटू पि0 धुडा तथा गैरी बेवा धुडा व हकमा पुत्र धुडा के वारिसदार में से हकमा को छोडकर सुरता के हिस्से की आराजी बेचान प्रदर्श A 9 के अनुसार दिनांक 18.06.2010 को करवा दी गई। इस बेचाननामा साख सोनाराम पुत्र नरसीराम भील सा0 सूरजवाडा एवं अशोक कुमार पुत्र भूताराम कौम भील साकिन कागमाला की है। जिनके वाद में इनके ब्यान नहीं करवाये गये एवं न ही बेचानकर्ता के गवाह में पेश किये। तनकी संख्या 4 में वर्णित प्रदर्श– A 22 में सुरता फौत होने पर उनकी पत्नि हस्तु बेवा सुरता का जमाबंदी में दर्ज है। जब हस्तु फौत हुई तो नाऔलाद होने से उनकी आराजी के उत्तराधिकारी का नाम दर्ज का कोई दस्तावेज या उत्तराधिकारी की साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नहीं किये ।पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श– A 5 अरजन पुत्र धुडाजी कौम भील साकिन अणदपुरा ने उपखण्ड अधिकारी भीलमाल को प्रस्तुत किया, जिसमें मार्क ''ए से बी'' में अंकित किया कि ''मेरे दादा सुरता पुत्र मगाजी कौम भील के नाम से सरहद मौजा कागमाला'' में खातेदारी आराजी संख्या 710 से 715 की आई हुई थी, उनके फौत हो जाने पर पीछे उत्तराधिकारी सुरता की बेवा हस्तु व मेरे पिता धुडा पुत्र सुरता थे, उसमें मेरे पिता धुडा नाबालिंग होने से मेरे पिता की माता हस्तु बेवा सुरता के नाम उक्त जमीन खातेदारी में दर्ज की गई व धुडा नाबालिंग होने से पटवारी ने उनका नाम दर्ज नहीं किया गया था। हस्तु बेवा सुरता जाति भील भी करीब तीन वर्षो पुर्व फौत हो चुकी है, व प्रार्थी अरजन के पिता धुडा पुत्र सुरता भी हस्तु बेवा सुरता के फौत होने से दो वर्ष पुर्व फौत हो चुके है। अब मेरे पिता धुडा व हस्तु बेवा सुरता के वारिसान अरजन, छगना, पोपट, हकमा, नटु, बलवन्ता पिसरान धुडा, धुडा की धर्मपत्नि गैरी बेवा धुडा है। इनके अलावा और कोई जायन्दा वारिसदार नहीं है। मेरे व उसके भाई अनपढ होने से आज दिन तक ध्यान नहीं होने से उक्त भूमि में अपने नाम दर्ज नहीं करवा सके। वर्तमान सेटलमेन्ट के बाद मेरे को लगान पर्चा, पास बुक प्राप्त होने पर मालुम पडा कि उक्त भुमि अभी तक मेरी दादी हस्तु बेवा सुरता के नाम ही दर्ज है। पटवारी हल्का ने उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाने का प्रार्थी को कहा। प्रार्थीगण द्वारा लगान पर्चा, पास बुक की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थना पत्र में अरजन वगैरा ने अपने दादा का नाम ए से बी में सुरता पुत्र मगाजी अंकित किया है। अर्थात अरजन वगैरा को अपने दादा के नाम की भी सही जानकारी नहीं है। और न ही इनके द्वारा सुरता व हस्तु की मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और न ही प्रार्थना पत्र में सुरता के वारिसान के संबंध में वंशावली का अंकिन किया है। इससे इनके द्वारा वारिसदार का मांग करने पर संदेह प्रकट होता है।

प्रदर्श– A 6 तहसीलदार (भु.अ.) रानीवाडा ने भु–अभिलेख निरीक्षण मालवाडा से रेवेन्यु रेकर्ड में खातेदारी दर्ज करवाने के संबंध में जांच रिपोर्ट दिनांक 7.3.1990 को मंगवाई गई। प्रदर्श– A 7 तहसीलदार (भु.अ.) रानीवाडा ने दिनांक 29.5.1990 से रिर्पाट उप जिलाधीश, भीनमाल को प्रस्तुत की। जिसमें ए से बी में श्री सुरता पुत्र धर्मा भील निवासी रोडा का था एवं उसने ग्राम अणदपुरा में सदणों पुत्री मकना भील साकिन अणदपुरा (प. रामपुरा) से शादी की थी, जिसका एक पुत्र धुडा पुत्र सुरता था, सदणों का कुछ समय बाद देहान्त हो गया एवं धुडा अपने ननिहाल में ही बडा होता रहता। प्रदर्श– ए 7 में ही सी से डी में अंकित किया कि'' सदणों के मृत्यु पश्चात श्री सुरता द्वारा ग्राम कागमाला से नाता में हस्तु इसकी औरत लाई। सुरता अपने दुसरे ससुराल ग्राम कागमाला में अपनी हस्तु के साथ ही रहने लगा। हस्तु कुछ समय बाद फौत हो गयी। हस्तु का राजस्व रेकर्ड में सुरता के फौत होने पर ना. सं. 388 के जरिये दर्ज किया।

धुडा अपने ननिहाल में ही बडा हुआ एवं गैरों नाम औरत से शादी की। धुडा पुत्र सुरता के अरजन वगैरा छः पुत्र है। जो अपनी रोजी [illegible] गुजरात आते जाते है। धुडा फौत हो गया है परन्तु घुडा की पत्नि गैरी जीवित है [illegible] रेकर्ड में खसरा नबंर 710 से 715 रकबा 17.59 हैक्टर खातेदार सोनिया [illegible] 1/2 एवं हस्तु बेवा सुरता 1/2 कौम भील दर्ज है। सुरता के बेवा हस्तु का देहान्त हो चुका है जिसका पुत्र धुडा है वो भी मर चुका है। सुरता के पोते अरजन वगैरा व मु. गैरी बेवा धुडा सुरता की [illegible] पुत्रवधु होना बताया गया। जो मौजुद है। उक्त जांच रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी गई। सुरता के वारिसदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

होना स्पष्ट नहीं किया। और नही नामान्तरकरण भरने के पुर्व पत्रावली वादग्रस्त आराजी से संबंधित सह खातेदार को सुनकर व मृत्यु प्रमाण पंजीयन तथा ग्राम पंचायत से वारिसदान हाने की भी जानकारी नहीं ली गयी। इसलिए नामान्तरकरण अरजन वगैरा के नाम खोलने का संतुष्टि के अभाव पर भी विचार नहीं किया गया।

प्रदर्श– A 8 जांच कार्यवाही दिनांक 25.4.1990 में भु–अभिलेख निरीक्षण मालवाडा ने बिन्दु संख्या 1 में मार्क ए से उल्लेख यह है कि पुछताछ से जाहिर हुआ कि सुरता पुत्र धर्मा कौम भील निवासी रोडा (प. रामपुरा) का था उसकी शादी ग्राम अणदपुरा (रामपुरा) हुई थी, अणदपुरा वाली औरत मरने के बाद सुरता ने ग्राम कागमाला में नाता (दुसरी औरत) किया गया था। बिन्दु संख्या 2 यह कि लोगों ने बताया कि सुरता के पहले वाली औरत से एक लडका था। जो उसके ननिहाल अणदपुरा में ही रहता था। सुरता अपने बेटे धुडा को छोडकर कागमाला आ गया था। कागमाला आकर रहने लगा व दुसरी औरत से नाता किया था। दुसरी औरत का नाम हस्तु है व हस्तु भी फौत हो चुकी है।

प्रदर्श– A 5 प्रार्थना पत्र में ईबारत ए से बी में दादा सुरता वल्द मगाजी भील अंकित किया है। प्रदर्श– A 7 ए से बी में सुरता पुत्र धर्मा भी ग्राम रोडा अंकित किया है। इसी प्रकार प्रदर्श–एबी जांच कार्यवाही में भु–अभिलेख निरीक्षण मालवाडा ने ईबारत ए से बी में अंकित किया है कि पुछताछ से जाहिर हुआ कि सुरता पुत्र धर्मा कौम भील निवासी रोडा अंकित किया है। इस प्रकार उक्त प्रदर्श– A 5 में सुरता पुत्र मगाजी भील बताया है तथा प्रदर्श– A 7 व ए बी में सुरता पुत्र धर्मा भील उल्लेख किया गया है। इस जांच रिर्पोर्ट में भी लोगो से पुछताछ कर सुरता पुत्र धर्मा वगैरा भील संबंधी प्रस्तुत है। किसी प्रकार का दस्तावेजी सबुत ग्राम पंचायत कागमाला ग्राम अणदपुरा (प. म. रामपुरा) से नहीं किया गया है। तथा न धुडा के ननिहाल के परिवार के किसी सदस्य से जांच में ब्यान आदि नहीं लिये गये है। उक्त रिपोर्ट में भी सुरता पुत्र धर्मा का वारिस धुडा होने तथा धुडा के पुत्र व पत्नि होने का स्पष्ट रूप से तहसीलदार रानीवाडा नहीं माना है। इस प्रकार उक्त जांच रिर्पाट दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिवत कार्यवाही के अभाव में तहसीलदार रानीवाडा ने सूरता व हस्तु के वारिस अरजन वगैरा होने के संबंध में वारिसदारान के लिए किसी प्रकार की वंशावली का खुलासा नहीं किया गया तथा न सूरता हस्तु की मृत्यू के संबंध में ग्राम पंचायत से संबंधित मृत्यू प्रमाण पत्र रेकर्ड पर नही लिया गया। सूरता की शादी चदणों से हुई व घुड़ा उनका पुत्र है। इस संबंध में चदणों की मृत्यु होने या मतदाता सूची में नाम अंकित होने या राशन कार्ड आदि दस्तावेज साक्ष्य में प्राप्त नही, इसके अलावा तहसीलदार रानीवाडा ने जांच के दौरान सहखातेदारों को भी प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के अनुसार सुनवाई भी नहीं की गई। इसलिए यह जांच विधि सम्मत मानने योग्य नही है।

वादीगण गवाह पी.डब्लयु –1 भुताराम ने अपने साक्ष्य शपथ पत्रका मुख्य परीक्षा में वाद के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2066–69 मौजा कागमाला की वाद में अंकित भुमि खरीदने की पेश की। जिसमें मेरे खरीद सुदा जमीन का नामान्तरण नोट अंकित है, जो प्रदर्श–1 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने बिल्कुल पढा लिखा नहीं होना व्यक्त किया तथा जमीन धुडा के लडकों से खरीद की गई। धुडा किसका लडका था मुझे पता नहीं है। यह बात रजिस्ट्री में लिखी है, धुडा के लडको की मां का नाम गैरी है।

नामान्तरकरण संख्या 31 दिनांक 31.1.1992 को निरस्त करवाने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा म्युटेशन अपील जिला कलेक्टर न्यायालय जालोर में प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 15.12. 2014 को हुआ जो पत्रावली में प्रदर्श–3 है। जिसमें सुरता के वारिसदारान की जांच करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने तथा उपखण्ड अधिकारी के आदेश से नामान्तरण खोलने का भी उल्लेख नहीं होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से एवं अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रकरण इस अपील में लागु नही होने से अपील खारीज की गयी। जिसकी प्रतिवादीगण द्वारा इस आदेश के विरूद्व कोई अपील रिवीजन प्रस्तुत नहीं की है। परन्तु प्रतिवादीगण वकील ने लिखित बहस में व्यक्त किया है कि वह नामान्तरण [illegible]लत था तथा नामान्तरण खोलने का आदेश उपखण्ड अधिकारी न्यायालय [illegible] अधिकारी नहीं होने से इस आधार पर अपील खारीज की गयी है। विधि का [illegible]पित सिद्वान्त है कि म्युटेशन की कार्यवाही अधिकारों का निमार्ण नहीं करती है। इसके आधार पर अधिकार तय नहीं होते है। यह फिस्कल कार्यवाही है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

ए. आई. आर. 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज– 719 का निर्णय प्रस्तुत की है। जिसमें सुस्थापित है कि नामान्तकरण की कार्यवाही किसी अधिकार को स्थापित नहीं करती है और न, हीं किसी अधिकार को नष्ट करती है।

हमने उक्त नजीर का अध्ययन किया। उक्त निर्णय अनुसार म्यूटेशन किसी अधिकार को तय नहीं करता है। माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल ने उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय के पास माना है और यह बात निर्णय आर.आर.डब्ल्यू 2013 (1) आर जे पेज 391 हरिसिंह बनाम गणपतलाल में तय की जाती है। वादग्रस्त प्रकरण में भी हस्तु के वारिसान को तय किया जाना था, क्योकि सुरता पुत्र धरमा की वारिस हस्तु थी। यह बात भी सभी के द्वारा स्वीकार की गई है। कथित धुडा की कहानी कितनी सत्य है, इस बात का जवाब डी.डब्ल्यू 5 प्रेमसिंह पुत्र हीराजी राव द्वारा दिया है कि यह प्रतिवादीगण भील तथा वादीगण को बेचान करने वाले भीलों की वंशावली लिखने वाला भाट है। इसके चौपडों के अनुसार सूरता ने कुल 5 विवाह किये थे, ओर उसका पूरा विश्वास वह देता है। यह स्पष्ट कहता है। कि वादीगण को बेचान करने वाले सुरता पुत्र धरमा के वारीसान नहीं है क्योंकि सूरता की कोई संतान जीवित नहीं रही थी। सुरता की पत्नि हस्तु ,माला उगला भील की बेटी थी। इस गवाह से जिरह में जो प्रश्न पूछे गये है, उसमें कोई भी प्रश्न विरासत को लेकर के नहीं पूछा गया है। इस प्रकार इस गवाह के मूख्य परीक्षण के बाबत कोई प्रश्न इससे नहीं पूछा गया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब कोई प्रश्न मुख्य परीक्षण के तथ्यों पर नहीं पूछा जाता है तो माना जाता है कि वह तथ्य स्वीकार किये जाते है। यह बात माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ईआरआर 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 225 में कही गयी है। पैरा 15 तथा 16 में स्पष्ट जानकारी से इंकार करने पर कानून से परे है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पूर्व पीठ निर्णिय सन 1969 आर. आर.डी पेज 66 में यह कहा गया है कि नामान्तरकरण सरसरी जांच के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही है और इस कारण इसके आधार पर अधिकार तय नहीं होते है। इस तथ्य को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल कोर्ट के निर्णय 2016(4) पेज 001 में दोहराई गई है। नजीर प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने प्रस्तुत की है। वादीगण के अधिवक्ता ने इस संबंध में नजीर प्रस्तुत नही की है। जिससे कि इस प्रकरण में प्रतिवादीगण की नजीरे प्रतिवादी के पक्ष में बल नहीं देती है।

जबकि काउण्टर क्लेम के चरण संख्या 13 से 22 वादीगण ने इनका कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। वादीगण द्वारा एक मात्र म्यूटेशन की अपील नहीं करने के अलावा कोई विशेष खण्डन प्रतिवादीगण के तथ्यों का नहीं किया गया है। इस कारण सीपीसी के आदेश 8 नियम 5 के तहत यह तथ्य स्वीकृत माने जाऐगें। यही बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने एआईआर 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 2250 के निर्णय में कही है। इस प्रकार इस कानूनी नजीर का भी वादीगण द्वारा खण्डन नहीं किया गया है।

वादीगण यह कहता है कि वे सूरता पुत्र धरमा के वारिसान से जरिये बेचान नाम से खरीददार है ओर इनका पिता धुडा था। धुडा सदणों का लडका था। यह बात तो जवाब में भी स्वीकार है कि बैचानकर्ता हस्तु के लडके नही थें। हस्तु के वारिसादान के संबंध में मौका रिपोर्ट जांच कार्यवाही प्रदर्श ए–8 में स्पष्ट लिखा है कि कागमाला के लोगों को हस्तु तथा सुरता के वारिसान के विषय में जानकारी नही है तो फिर बलवन्तसिंह तथा जैसा को जानकारी कहा से होगी। इसके बाद केवल मात्र म्यूटेशन पर तथा म्यूटेशन के विषय में कथन करते है परन्तु यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि खरीददार को अपना टाईटल तथा बैचान करने वालों का अधिकार स्थापित करना होगा। ऐसा नहीं करने में असफल होते है और ऐसी परिस्थिति में गवाह डी डब्ल्यू 5 प्रेमसिंह से प्रतिप्रीक्षण नही किये जाने पर तथा काउण्टर क्लेम में लिखित तथ्यों का विशेष रूप से खण्डन नही किये जाने पर प्रतिवादीगण का कथन पुष्ट होता है। क्योकि सुरता की सन्तान धुडा व उसके पुत्र अर्जून वगैरा बैचानकर्ता के बारे में कतई परिक्षण नहीं किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

सूरता व हस्तु की निर्वसीयत मृत्यु होना स्वयं [illegible] के साबित है। इन परिस्थिति में इनके वारिसदारान तय करने के सिविल न्यायालय के जरिए बेचानकर्ताओं को लेनी चाहिए, जैसा की कानूनी प्रकिया में उल्लेख है। ऐसे विवादित नामान्तकरण से वारिसान के नाम म्यूटेशन खोलने के पूर्व राजस्थान भू–राजस्व(अभिलेख) नियमावली 1957 व राज्य सरकार के परिपत्र एवं निर्देश अनुसार तहसीलदार को एक पत्रावली खोलकर न्यायिक प्रक्रिया अनुसार

प्रार्थना पत्र देहन्दा एवं सहखातेदार प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्त के तहत नोटिस जारी कर सुनने के अवसर दिया जाना चाहिए तथा अन्य एजेन्सी जैसे ग्राम पंचायत एवं ग्राम के मुख्यालय से जांच करनी चाहिए थी। उक्तानुसार कार्यवाही कर सुरता के वारिसान का तहसीलदार द्वारा तय नहीं करने से स्वीकृत नामान्तरण वारिसदार का विवादित होना जाहिर है तथा विवादित नामान्तरण से जमाबंदी में प्रविष्टि हो जाने से उसके हिस्से की आराजी का मालिकाना हक उनको नहीं मिल जाता है। अतः बेचानकर्ता का विवादित मालिकाना हक व वारिसदारान के संबंध में होने से वादीगण को बेचान किया गया बेचान दस्तावेज सदभावी व पवित्र नहीं कहलाता जा सकता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण 1 से 19 के पक्ष में व वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी संख्या–6

प्रतिवादी संख्या 1 से 19 द्वारा प्रश्नगत भूमि के नामान्तरकरण स्वीकृत दिनांक 31.01.1992 के विरूद्व अपील दिनांक 09.08.2010 के जिला कलेक्टर जालोर न्यायालय में पेश की। जिसमें कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से 19 बताया गया। इस संबंध में प्रतिवादीगण ने गवाह डी. डब्लयु.–2 अजाराम ने प्रतिवादीगण में व्यक्त किया कि जोईता व भुता से पहले उनके हिस्से की खातेदारी में अर्जुन वगैरा धुडा और गैरी बेवा धुडा से जोईता व भुता वगैरा ने प्रश्नगत भुमि खरीद का नामान्तरकरण भरने की मुझे पता नहीं है। यह बात सही है कि मैने सिविल कोर्ट में प्रश्नगत बेचान दस्तावेज खारीज करवाने का नहीं किया क्योकि मुझे रजिस्ट्री की जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि हमने अर्जुन वगैरा के खातेदारी अपने नाम करवाने हेतु कोई दावा नहीं किया। जिला कलैक्टर न्यायालय के दर्ज नामान्तरकरण खारीज करने होने की मुझे जानकारी नहीं है। प्रदर्श–3 में मेरा नाम कमंशः 12 पर लिखा हो तो मुझे पता नहीं। क्योकि मै पढा लिखा नहीं हुॅ। उक्त जमीन मे से 2.40 हैक्टर जमीन बेचानकर्ता सोना पुत्र केसा, चमना पुत्र भुता, काला पुत्र हंजु, भीखी बेवा हंजु कौम भील साकिन कागमाला ने काना भाई पुत्र पुनमाजी भील साकिन तहसील थराद डाली हुई है, मेरे हस्ताक्षर है, जो भुल से किये हो। पुरी जमीन में मेरा कितना हिस्सा आता है। मुझे पुरा पता नहीं है। यह कहना गलत है कि वादीगण भुताराम, जोईताराम विवादित आराजी में 6/14 हिस्सा पर कब्जा हो। यह कहना गलत है कि वादीगण के हिस्से विभाजन करने हेतु हमारे खिलाफ दावा किया हो। नामान्तरकरण अपील में रेस्पोडेण्ट ने इस भुमि का एक वाद अन्तर्गत धारा 88 उपजिलाधीश में विचाराधीन है। जिसमें अपीलाण्टस ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर रेस्पोडेण्टस ने केवल विभाजन खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होने से केवल बैचान दस्तावेज के आधार पर विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। इस म्युटेशन अपील में वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी 1/2 प्रथम सेटलमेन्ट में सुरता पुत्र धर्मा के नाम थी तथा सुरता की मृत्यु पर उनकी पत्नि के हस्तु के नाम दर्ज हुई। वादीगण ने धुडा को सुरता का पुत्र बताया और सुरता की मृत्यु के पहले ही घुडा की मृत्यु हो जाने से हस्तु के नाम आराजी दर्ज हुई।

विवादित आराजी पर कब्जा काश्त सुरता का होना तथा परिवार सहित विवादित आराजी पर रहना अपील निर्णय के पैरा संख्या 2 में स्वीकार किया गया है। अरजुन पुत्र धुडाजी ने प्रदर्श– A 5 प्रार्थना पत्र नामान्तरकरण खोलने का उपखण्ड अधिकारी भीनमाल को पेश किया। जिसकी जांच तहसीलदार रानीवाडा ने जांच हेतु भु–अभिलेख मालवाडा को भेजा गया। भु–अभिलेख कागमाला ने अपनी जांच प्रदर्श– A 8 में स्पष्ट उल्लेखित किया कि सुरता व हस्तु फौत हो गये है। उनके कोई जायन्दा लडका–लडकी नहीं होना बताया गया। पहले वाली औरत की सन्तान धुडा को अणदपुरा में रहना बताया गया। धुडा की सन्तान के बारे में ग्राम कागमाला के लोगो द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। धुडा की सन्तान जो प्रार्थी वगैरा है तो अणदपुरा में ही रहते है। अतः उनकी जानकारी ग्राम अणदपुरा से प्राप्त करने का दिनांक 25.4.1990 के बताया। तहसीलदार रानीवाडा ने प्रदर्श– A 7 पैरा संख्या 6 में सुरता के बेवा हस्तु का देहान्त हो चुका है जिसका पुत्र धुडा है। धुडा के पोते अरजन, छगना, पोपट, हकमा, नटु, बलवन्ता व गैरी बेवा धुडा सुरता के पुत्रवधु होना बताया। परन्तु इस संबंध में भु–अभिलेख मालवाडा की जांच रिपोर्ट के संदर्भ में जांच करने का तहसीलदार रानीवाडा ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 18:42:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रदर्श– A 7 के साथ दस्तावेजी साक्ष्य या मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इस संबंध में तनकी संख्या 5 में विस्तृत विवेचन व विश्लेषण तहसीलदार रानीवाडा की जांच रिपोर्ट के संबंध में किया। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में विवादित आराजी पर कब्जा होना अपील में उल्लेख करना साबित होता है।

तनकी संख्या–7

प्रतिवादीगण द्वारा बेरा खुदा हुआ होने के संबंध में द्वितीय सेटलमेन्ट खतौनी संवत् 2046 से 2065 प्रदर्श–ए 22 में खसरा नबंर 712 रकबा 0.01 हैक्टर में गै. मु. बेरा व खसरा नबंर 713 0.08 हैक्टर, गै. मु. सडा अंकित है। भुताराम पुत्र अरजन ने प्रदर्श–ए 3 प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसकी जांच थाना अधिकारी व तहसीलदार रानीवाडा व पटवारी कागमाला एंव भूताराम के रूबरू दिनांक 06.10.2010 मौका निरीक्षण करने पर भूता पुत्र अजबा द्वारा खसरा संख्या 711 एवं 714 में करीब आठ बीघा भूमि पर काश्त करने के संबंध में पडोसी खातेदारान एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में भूता पुत्र अजबा की काश्त करना नही पाया गया। वादीगण द्वारा प्रश्नगत आराजी में काश्त करने के संबंध में फसल गिरदावरी की नकल प्रस्तुत नहीं की गई है, तथा वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त होना मानते है तो उनके द्वारा वाद में मौका कमिश्नर नियूक्त करवाकर मौका रिपोर्ट मंगवाने का अधिकार का उपयोग किया जाना चाहिये था, परन्तु ऐसी कार्यवाही नहीं करने से वादीगण का कब्जा होने के संदेह का खूलासा नहीं हो सकता है। अतः मौके के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादीगण का कब्जा होने की पूष्टि नही होने से यह तनकी भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 8

हिन्दू अल्पवयस्कता तथा संरक्षण अधिनियम की धारा 6 में हिन्दू अल्पवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक माता पिता के अलावा नहीं हो सकने के संबंध में वादीगण द्वारा जवाब या कानूनी नजीर प्रस्तुत नहीं की है मु0 गैरी किसकी संरक्षक है, इस संबंध में भी उनकी शहादत पेश नही की। जिससे गैरी की विधिक संरक्षक होने के संबंध में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है। जिससे अर्जून वगैरा को प्रश्नगत आराजी बेचने का कोई अधिकार नही था। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 9

सूरता खातेदार की मौत के समय धुडा पूर्णतया बालिग व शादी सुदा होने के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किये बल्कि सूरता का पुत्र सूरता के जीवनकाल में ही मृत्यू होना म्यूटेशन अपील में व्यक्त किया है। इसके अलावा बालिग होने के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची में नाम दर्ज आदि प्रस्तुत नही किया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत बेचान दस्तावेज में अर्जून की उम्र 65 साल अंकित है, इससे इस्वी सन के अनुसार जन्म सन 1955 में हो गया था। सन 1955 का अर्थ संवत 2012 होता है, जिस समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिकार में आया था। धुडा की पत्नि की उम्र सन 2010 में 80 साल है तो इसका जन्म सन 1930 में हुआ था। यदि धुडा व गैरी की उम्र बराबर मानी जावे तो धुडा का जन्म 1930 में हुआ है। सूरता का देहान्त कब हुआ था। कोई नहीं बता रहा है। राजस्व अभिलेख के अनुसार सुरता का देहान्त राजस्व अभिलेख विक्रम सवंत 2012 में बने उस समय नही हुआ था और उसका देहान्त विक्रम सवंत 2040 के आस पास हुआ होना और विक्रम सवंत 2040 का अर्थ 1984–85 होता है। तो सन् 1930 में जन्मा हुआ व्यक्ति 1984–85 में 50 साल का होता है। अब 50 साल का व्यक्ति नाबालिग कैसे होगा। तब यह कथन गलत हो जाता है कि सूरता की मौत के समय धुडा नाबालिग था। क्योकि धुडा तो ईस्वी सन 1955 में ही बालिग था। क्योकि उनका जन्म सन 1930 के आस पास होना वादीगण का दस्तावेज प्रकट करता है। वादीगण ने इस संबंध में किसी प्रकार से खण्डन नही किया और सुरता के जीवनकाल में नाबालिग होने पे देहान्त होने के संबंध में साक्ष्य मौखिक अथवा दस्तावेजी प्रस्तुत नही किये। ऐसी स्थिति में धुडा खाते की मौत के समय पूर्णतया बालिग व शादीसुदा होना साक्ष्य साक्ष्य के अभाव में साबित नही होता है। अतः यह तनकी भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 10

प्रतिवादीगण की खातेदारी में दखलन्दाजी नहीं करने व नहीं अन्य से कराने हेतु वादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस वाद के अंतिम निर्णय पर संभव है। अतः इस तनकी को इस स्तर पर पेण्डिग रखी जाती है।

तनकी संख्या 11

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श–1 में अरजुन,छगना,पोपट ,हकमा, नटु, बलवन्ता पिसरान धुडा गेरी बेवा धुडा 1/2 हिस्सा कोम भील साकिन अणदपुरा दर्ज है। उक्त प्रदर्श 1 मे बैचान दस्तावेज प्रदर्श ए7 के अनुसार दिनांक 18.06.2010 को पंजीकृत दस्तावेज से 6/14 हिस्सा खरीद किया, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 25.06.2010 से प्रदर्श 01 में वादी जोईताराम पुत्र प्रभाजी कौम भील सा0 सूरजवाडा 2/7 हिस्सा भूताराम पुत्र अजबाजी कौम भील सा0 देह 1/7 हिस्सा, व हकमा पुत्र धुडा 1/14 हिस्सा हिस्सा कौम भील सा0 अणदपुरा रामपूरा खातेदार दर्ज है परन्तु उक्त बैचाननामा प्रदर्श ए7 में सम्पूर्ण हिस्सा 6/14 हिस्सा रकबा 7.538 हेक्टेयर आराजी खरीददार 1. जोईताराम पुत्र प्रभाजी भील सुरजवाडा 2/3 हिस्सा 2. भूताराम पुत्र अजबाजी भील सा0 कागमाला को 1/3 हिस्सा विक्रय करना दर्शाया है। बैचान दस्तावेज प्रदर्श ए7 में वादीगण द्वारा खरीद की गई आराजी का विशिष्ठ दिशा आदि का भी उल्लेख नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा खरीद से खरीदसुदा आराजी का उनका कब्जा काश्त होना दर्शाया है जबकि इस संबंध में वादीगण का कब्जा होने के संबंध में राजस्व दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है तथा मौके की स्थिति मौका कमिश्नर नियूक्त कर भी अपने कब्जे के समर्थन में मंगवाना रेकर्ड पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नही होने से वादीगण का कब्जा काश्त साबित कराने में असफल रहने से यह तनकी माफिक बेचान दस्तावेज अनुसार मौके पर कब्जा नहीं होने से वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 12

प्रदर्श A 4 मौका फर्द तहसीलदार रानीवाडा में वादी भूता पुत्र अजबा के एक पडौसी खातेदार व अप्रार्थीगण पुलिस वाला जसवन्तपुरा व पटवारी कागमाला के निरीक्षण करने पर मौका निरीक्षण पर वादग्रस्त खसरा नम्बर 711 व 714 पर भूता पुत्र अजबा की काश्त नही होना पाया गया। इस तनकी के दीगर तथ्य उक्त मौका निरीक्षण में अप्रासंगिक है। अतः जोईताराम का कब्जा साबित नहीं हुआ है। इसलिये मौके पर कब्जा काश्त वादीगण का नहीं होने तथा बैचानकर्ता का नामान्तरकरण मालिकाना अधिकार संबंधी विवादीत होने से सहखातेदार के पक्ष में बंटवाडा नही किया जा सकता। अतः यह तनकी भी वादीगण के विरूद्व साबित होने से इनके विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 13

मौका रिपोर्ट प्रदर्श ए4 में मौका फर्द में बेरा होने का तहसीलदार द्वारा उल्लेख नही किया गया है। यह तथ्य वादीगण का सही है परन्तु खसरा नम्बर 711 व 714 में प्रदर्श ए22 अनुसार भी नहीं है। वादीगण द्वारा विशिष्ठ भू–भाग खसरा संख्या 711 व 714 खरीदने का कोई तथ्य रेकर्ड पर नहीं है। प्रदर्श ए22 वादग्रस्त आराजी खसरा नबंर 712 में कुंआ व 713 में सडा किस्म अंकित है। इस प्रकारा प्रश्नगत आराजी में बेरा नहीं होने का तथ्य साबित नहीं करा पाये है। अतःयह तनकी भी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–14

इस तनकी का वाद का अंतिम निर्णय पर निर्भर होने से इस स्तर पर पेण्डिग रखी जाती है।

तनकी संख्या–15

प्रश्नगत आराजी वादीगण द्वारा जमाबंदी [illegible] में विक्रेता के नाम अंकित होने से क्रय की गयी है। जबकि विक्रेता मृतक सुरता के वारिस होने का विधिवत साबित किये बिना सुरता की मृत्यु के कई सालो बाद म्यूटेशन खोला गया है। जिसका वर्णन तनकी संख्या 4 व 5 में स्पष्ट किया गया है। सुरता व हरजी के कोई संतान नहीं होने का तथ्य रेकर्ड पर मौजुद है तथा विक्रेता वारीसदार विधिमान्य होते तो उनके द्वारा बैचान दस्तावेज बेचानकर्ता से प्रदर्शित करवाया जाता तथा सुरता के वारिस होने का आधार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

साबित करवाता परन्तु वादीगण ने विक्रेता में से किसी को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे भी सुरता के वारिसान संदेहाप्रद प्रकार होने से इंकार नहीं किया जा सकता। सुरता के वारिसदार होने के संबंध में सिविल न्यायालय से निर्धारित करवाने का प्रावधान है। इस प्रकार सुरता के वारीसदार विधिमान्य नहीं होने से उनको विधिक मालिकाना अधिकार के स्पष्ट आधार नहीं होने से उनके द्वारा किसी को विवादित आराजी का बेचान करने का अधिकार नहीं है। अतः यह तनकी भी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–16

प्रश्नगत आराजी का प्रतिवादीगण बेचाननामा निरस्त करवाये बिना दावा नहीं लाया जा सकता परन्तु अवैध बेचाननामे से अविधिमान्य प्रभाव शुन्य कराने का अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत किये जाने का प्रावधान है।

तनकी संख्या–17

प्रतिवादी खाना भाई जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 18.5.2012 के बेचानकर्ता सोनाराम पुत्र केसा, चमना पुत्र मुला करता पुत्र हंजु, भीखी बेवा हंजु कौम भील साकिन कागमाला द्वारा 2.40 हैक्टर आराजी क्रय की गयी है। उक्त आराजी प्रतिवादीगण द्वारा बेचान की गयी है। उक्त बेचान आराजी का बंटवाडा वाद के निर्णय पर आधारित है। उक्त बेचानकर्ता में सुरता के कोई वारिसदारान नहीं हैं। इसलिए वारिसदारान का विवाद उत्पन्न नहीं होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादी संख्या 20 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

15. उपर्युक्त तनकी वार विवेचन एवं विशलेषण करने पर तनकी संख्या –1 आंशिक वादीगण के पक्ष में केवल राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित होने से निर्णित हुई है। तनकी संख्या 11, 12, 13, 15, 16 को वादीगण अपने पक्ष में साबित कराने में विधिक रूप से अभिलेख रूप से तथा साक्षिक रूप से पुर्णतया असफल रहने से वादीगण के विरूद्व निर्णित की गई। तनकी संख्या 4, 5 ,6 7, 8 ,9 प्रतिवादीगण के पक्ष में विधिक रूप से साक्ष्य व अभिलेखीय रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की गई है। तनकी संख्या 2, 3, 10 ,14 का इस स्तर पर कोई औचित्य नहीं होने से तनकीयात निरस्त की जाती है। अतः उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद पत्र खारीज किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 का काउन्टर क्लेम प्रतिकुल कब्जे के आधार पर स्वीकार करने के संबंध में विधिक रूप से कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है, यहां तक वादग्रस्त आराजी मालिकाना अधिकार के संबंध में विवादित है। इस स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 का काउण्टर क्लेम अस्वीकार किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

16. अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मौजा कागमाला के खसरा नबंर 710 से 715 रकबा 14.88 हैक्टर में से 6/14 हिस्सा का खारीज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 का उक्त वादग्रस्त आराजी का काउण्टर क्लेम प्रतिकुल कब्जे का वादग्रस्त आराजी विवादित होने से अस्वीकार किया जाता हैं। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(प्रकाशचन्द अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को मेरे द्वारा इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
रानीवाडा

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जोईताराम वल्द प्रभाजी कौम भील निवासी सुरजवाडा 2. भुताराम वल्द अजबाजी कौम भील निवासी कागमाला तहसील रानीवाडा जिला जालोर	**बनाम**	1. सोनीया वल्द केसा 2. बाबूडा वल्द केसा 3. राजीया उर्फ राणा वल्द केसा 4. गोविन्द वल्द पूनमा 5. मु. काली बेवा पुनमा 6. मु. उगम पुत्री पुनमा 7. मु. काली बेवा पुनमा 8. चमना वल्द भूता 9. शंकरा वल्द भूता 10. मु. पारू पुत्री भूता 11. मु. घुनी पुत्री भूता 12. अजा वल्द धुडा 13. लीला वल्द धुखा 14. मु. मफी पुत्री धुखा 15. मु. पवनी पुत्री धुखा 16. काला वल्द हंजू 17. मु.भीखी बेवा हंजु 18. रमेश वल्द भीखा 19. मु. लक्ष्मी बेवा भीखा 20. मृतक हकमा वल्द धुडा के का.मू. वारीस– 20/1 ढलूबेन पुत्री हकमा 20/2 आकाश वल्द हकमा उम्र 10 वर्ष नाबालिंग जरिये कुदरती वली दादी मू. गैरीदेवी बेवा धुडाजी कौम भील निवासीगण कागमाला तहसील रानीवाडा 21. तहसीलदार भूमिधारी रानीवाडा 22. उप पंजीयक रानीवाडा 23 खानाभाई पुत्र पुनमाजी कौम भील निवासी राह तहसील थराद जिला बनासकांठा ,गुजरात

दावा बाबत विभाजन करने कृषि भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 42/2010

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू फरीकान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री पूखराज विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी सं. 23 की ओर से अधिवक्ता श्री केशरदान चारण व प्रतिवादी संख्या 21 तहसीलदार रानीवाडा राजपेरोकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 20/1 व 20/2 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मौजा कागमाला के खसरा नबंर 710 से 715 रकबा 14.88 हैक्टर में से 6/14 हिस्सा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested

खारीज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 19 का उक्त वादग्रस्त आराजी का काउण्टर क्लेम प्रतिकुल कब्जे का वादग्रस्त आरजी विवादित होने से अस्वीकार किया जाता हैं। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करे। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 07.04.2022 को जारी की गई।

(प्रकाशचन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	5	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	**मौजाना**	7	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:47:48 IST
Reason: SelfAttested